

(269)
(393)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल नवालियर म०प्र० सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

क्षिरानी प्रकरण क्र० / 2014
R. 2369-1114



R. 2369-1114

देस अ. ११ धर्म एड
30.५.१४
मेर
मर्किट कोर्ट रीवा

- 1- पुण्य कुमार तनय लद्मीप्रसाद पाठक
- 2- लद्मीप्रसाद तनय रामनारायण पाठक
- 3- अखिलेश कुमार तनय लद्मीप्रसाद सी निवासीगण ग्राम जसो, तह०
नागांद, जिला सतना म०प्र० ----- क्षिरानीकारण

विरुद्ध

श्रीमती प्रवीण त्रिपाठी पति पुष्पेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्री निकुञ्ज पाठक
निवासी नईवस्ती सतना, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०

--- गैरक्षिरानीकर्त्ता ---

क्षिरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् नायब तहसीलदार
महादय बृत्त जसो तह० नागांद जिला सतना केरा०
प्रकरण क्र० 55ए/08-09 आदेश दिनांक 13-5-14

क्षिरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० दूराजस्वसंहिता


महोदय,
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:- इस प्रकार है कि मूलमौ

22, 23/2, 26, 27, 35, 36, 37 38/2 किंतु 8 कुलकवा 4-487 है मौजा

गौरा की उपरोक्त आराजियात के सँझ में आपसी वटवारा हेतु आवेदन

पत्र आवेदनार्था प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण क्र० 35 अ/27/08-09

के तहत दिनांक 13-2-2009 को वटवारा आदेश पारित कियाथा,

उक्त आदेश के चार वर्ष बाद आवेदिका द्वारा पुनः श्रीमान् तहसीलदार

प्राप्त कराया गया


(269)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 2369 - हे 114 जिला सतना

.....पुण्यकुमारपाटक विरुद्ध नीमती छवीर चिपाई बंगे

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील नामांक (वृत्तवतो) के प्रकरण क्रमांक 55/अ.27/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 13.5.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 5.3.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	

उक्त आदेश के चार काँचावाद ज्ञावेदिका द्वारा पुनः श्रीमान् तहसीलदार

माना गया है।

दोस्रा